



भारतीय मानक ब्यूरो

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारत सरकार

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution
Government of India

पंजीकृत पावती सूचना

हमारा संदर्भ : सी एम/एल - 5900156611

दिनांक - 25/02/2026

विषय : आई एस 7887:1992 के अनुरूप भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 5900156611 प्रदान करने के संबंध/संदर्भ में।

मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड

(M/s B.S. SPONGE PRIVATE LIMITED)

ग्राम : तराईमल, पोस्ट: गेरवानी, रायगढ़,

जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत - 496001

महोदय,

आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है:

उत्पाद : Mild Steel Wire Rods for General Engineering Purposes

आई एस : IS 7887:1992

टाइप/ साइज/ ग्रेड/ किस्म:

Mild Steel Wire Rod of Size 5.00 mm up to & Including 16.00 mm for Grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4M, 6M, 7M, 8M, 10M.

2. आपको यह लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर दिया जा रहा है कि आप उक्त भारतीय मानक के अनुरूप खरा उतरने वाले समस्त उत्पादन पर मानक मुहर लगाएंगे।

3. आपको प्रदान किए गए लाइसेंस का नंबर सीएम/एल - 5900156611 है जो दिनांक 2026-02-25 से लागू है तथा दिनांक 2027-02-24 तक वैध है। आप द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

4. भारीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के अनुसूची 2 में दिए गए स्कीम-1 के पारा 5 के अंतर्गत सबपारा (1) और (2) के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क रु. 1000/- एवं भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के स्कीम-1 के उपाबंध 1 में दिए गए वार्षिक न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान लाइसेंस की वैधता अवधि के लिए दिनांक 2026-02-25 से अग्रिम रूप से आपके द्वारा देय होगा। **जीएसटी, जैसा उपयुक्त हो, देय होगा**

5. आप द्वारा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान किया जाएगा, चाहे आपने अपने उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग किया हो अथवा नहीं। लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम मुहरांकन शुल्क के लिए हमारी रसीद संख्या AA59PC2025001470 दिनांक 2026-01-28 मानक ऑनलाइन के द्वारा भेजी जा चुकी है।

6. यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक नवीकरण के समय अगले वर्ष के लिए जमा रहेगा। नवीकरण के समय आपको मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर के अनुसार, या वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

7. उत्पाद की मुहरांकित मात्रा की रिपोर्ट एवं इकाई दर के आधार पर मुहरांकन शुल्क की गणना और उसकी प्राप्ति को सुचारु बनाने की दृष्टि से प्रथम नवीकरण के समय शुल्क की गणना लाइसेंस जारी होने के प्रथम नौ माह के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। द्वितीय तथा आगे के नवीकरण के समय यह गणना पूर्व वर्ष के अन्तिम तीन माह तथा चालू वर्ष के प्रथम नौ माह को शामिल करते हुए 12 महीनों के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। लाइसेंस के समाप्त होने की स्थिति में मुहरांकन शुल्क की गणना समाप्ति की तिथि तक के समस्त मुहरांकित उत्पादन पर की जाएगी।

8. आपके द्वारा पहले से ही स्वीकृत निरीक्षण एवं परीक्षण योजना (एस आई टी) का आपके संगठन द्वारा पूर्णतया एवं सख्ती से अनुपालन करना होगा। इस योजना के प्रचालन की निगरानी आपके संगठन में गुणता नियंत्रण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा करनी होगी। अंतः उनका नाम एवं पदनाम हमें सूचित करें। इस संबंध में आपको भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना हमें प्रेषण करनी होगी।

9. हम मानक मुहर के अधिमान्य आयामों का विवरण संलग्न कर रहे हैं ताकि आप उपरोक्त उत्पाद पर मुहर लगाने के लिए मानक मुहर का डिजाइन बना सकें। मानक मुहर का किसी भी साइज में फोटो अनुमत है। इससे मानक मुहर के विभिन्न आयामों में समानुपात बनाया रखा जा सकेगा। जहाँ तक संभव हो, अधिमान्य आयामों का ही उपयोग किया जाए।

10. आपके जिस उत्पाद के लिए लाइसेंस दिया गया है, आप उस के मुहरांकित होने का विज्ञापन लाइसेंस की वैधता के दौरान होर्डिंगों, स्लाइडों और अखबारों में दे सकते हैं। लैटरहेड और प्रचार साहित्य में मानक मुहर के उपयोग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब आप आश्वासन देंगे कि लाइसेंस के समाप्त या रद्द होने की दशा में आप उन लैटरहेड इत्यादि का नष्ट कर देंगे अथवा उन पर से मानक मुहर को मिटा देंगे। यह आश्वासन आपको संलग्न प्रपत्र में देना होगा।

11. यह ग्राम : तराईमल, पोस्ट: गेरवानी, रायगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत - 496001 (VILLAGE: TARAIMAL, POST: GERWANI, RAIGARH, DISTRICT: RAIGARH, CHHATTISGARH, INDIA - 496001) इस लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों/विशेषाधिकारों का उपयोग आप किसी अन्य फर्म/कंपनी/फैक्ट्री इत्यादि के लिए नहीं करेंगे। यह लाइसेंस अहस्तान्तरणीय है। निर्माण एवं जाँच उपकरणों के लाइसेंसशुदा परिसर से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित होने की स्थिति में नए परिसर में स्थानान्तरित निर्माण एवं जाँच सुविधाओं का हमारे द्वारा संतोषजनक निरीक्षण कर लेने तथा लाइसेंस में नये परिसर को शामिल कर देने तक आपको मानक मुहर का उपयोग बन्द करना होगा।

12. अनुज्ञप्ति दस्तावेज इसके साथ संलग्न है।

13. बीआईएस लाइसेंस की शर्तें आपकी अनुपालन के लिए संलग्न है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

सधन्यवाद,

सुमन कुमार गुप्ता/SUMAN KUMAR GUPTA
वैज्ञानिक-ई/निदेशक एवं प्रमुख (आरपीडीओ)
Scientist-E/Director & Head (RPDO)
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
रायपुर शाखा कार्यालय/ Raipur Branch Office
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
(Government of India)
रायपुर (छत्तीसगढ़) / Raipur (Chhattisgarh)

 भवदीय,

(सुमन कुमार गुप्ता)
वैज्ञानिक ई/ निदेशक एवं प्रमुख

संलग्न : यथोपरि

उपाबंध

(अनुज्ञप्ति सं. सीएम/एल- 5900156611)

अनुज्ञप्ति की शर्तें

- (1) मानक चिह्न का डिजाइन अनुज्ञप्ति में दी गयी प्रतिकृति के आनुषंगिक होगा।
- (2) मानक चिह्न के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जब तक ब्यूरो द्वारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए गए हों।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी उस संबद्ध माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी उस माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिह्न का उपयोग नहीं करेगा जो गैर-अनुरूप अथवा अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र से बाहर है।
- (5) जिस माल और वस्तुओं के लिए मानक चिह्न का उपयोग किया गया है अगर वे संबद्ध मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैर-अनुरूपता वाले माल को वापिस लेने का निर्देश दे सकता है।
- (6) अनुज्ञप्ति के आस्थगन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबद्ध माल, वस्तु, प्रक्रिया, उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी को उस अनुरूपता आकलन योजना के उपाबंधों का पालन करना होगा जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और चिह्नांकन अपेक्षाएँ भी शामिल हैं।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी अपने परिसरों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।
- (10) अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद और मानक चिह्न के उपयोग अथवा अनुप्रयोग से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।
- (11) यदि माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी को उन परेषिती, वितरकों, व्यौहारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी होगी, जिनको मानक चिह्न वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गयी है।
- (12) ब्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।
- (13) मानक चिह्न वाले किसी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओं की मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।
- (14) अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर ब्यूरो, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को संशोधन का अधिकार रखता है।

Annexure

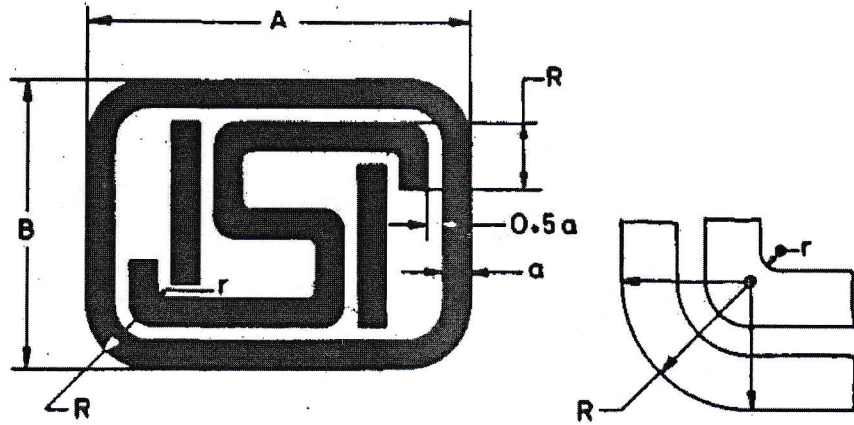
(Licence No. CM/L- 5900156611)

Conditions of Licence

- (1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (3) The licensee shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (4) The licensee shall not use the Standard mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the licence.
- (5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.
- (6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.
- (7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirement.
- (8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.
- (10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standards Mark as and when it is required by the Bureau.
- (11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (12) The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.
- (13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.
- (14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

मानक मुहर

मानक मुहर हेतु मोनोग्राम का डिजाइन



आकृति 1 मानक चिह्न हेतु मोनोग्राम

मानक चिह्न के मोनोग्राम के चित्रात्मक निरूपण में आकृति 1 में दर्शाई गई शैली में सटीक आरेखण और तालिका 1 में दिया गया सापेक्ष अनुपात

तालिका 1 मोनोग्राम के अधिमानित आयाम

सभी आयाम मिलीमीटर में

A	B	a	R	r	अक्षरों के आकार
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 मि.मि.
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 मि.मि.
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 मि.मि.
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 मि.मि.
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 मि.मि.
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 मि.मि.
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 मि.मि.
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 मि.मि.

भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards
मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति
Licence for the use of Standard Mark

लाइसेंस सं. सीएम/एल-5900156611
Licence No. CM/L-5900156611

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड
ग्राम : तराईमल, पोस्ट: गेरवानी, रायगढ़,
जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत - 496001

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न का, इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गयी किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मों पर चिह्न का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबद्ध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants to

M/s B.S. SPONGE PRIVATE LIMITED
VILLAGE: TARAIMAL, POST: GERWANI, RAIGARH,
DISTRICT: RAIGARH, CHHATTISGARH, INDIA - 496001

(hereinafter called the licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति में अनुबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी है। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा-उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-1 में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

This licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence, which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I.

अनुसूची
Schedule

(अनुज्ञप्ति सं. सीएम/एल- 5900156611)
(Licence No. CM/L- 5900156611)

नाम: मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड
Name: M/s B.S. SPONGE PRIVATE LIMITED

कारखाने का पता: ग्राम : तराईमल, पोस्ट: गेरवानी, रायगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत -
496001

Factory Address: VILLAGE: TARAIMAL, POST: GERWANI, RAIGARH, DISTRICT: RAIGARH,
CHHATTISGARH, INDIA - 496001

विधिमान्यता: पच्चीस फरवरी दो हजार छब्बीस से चौबीस फरवरी दो हजार सताइस
Validity From: From Twenty Fifth February Two Thousand Twenty Six to Twenty Fourth
February Two Thousand Twenty Seven.

मानक चिह्न Standard Mark	भारतीय मानक Indian Standard	अनुज्ञप्ति का विषय क्षेत्र Scope of Licence	चिह्नांकन फीस Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 7887  CM/L- 5900156611	भा मा 7887: 1992 सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए मृदु इस्पात तार सरिये - विशिष्ट IS 7887: 1992 Mild steel wire rods for general engineering purposes	Mild Steel Wire Rod of Size 5.00 mm up to & Including 16.00 mm for Grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4M, 6M, 7M, 8M, 10M	रु. 03.00 प्रति इकाई दर सभी इकाईयों के लिए साथ ही एक साल की प्रचालन अवधि के दौरान रु. 66,000/- न्यूनतम मुहरांकन फीस सहित। Rs. 03.00 per unit for all units with a minimum marking fee of Rs. 66,000.00 during an operative period of one year. इकाई: एक टन Unit- One Tonne एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रणीत होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s).

आज पच्चीस फरवरी दो हजार छब्बीस को हस्ताक्षरित तथा मोहरबंद किया गया।
Signed, Sealed and Dated this Twenty Fifth February Two Thousand Twenty Six.

कृते भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for Bureau of Indian Standards

सुमन कुमार गुप्ता/SUMAN KUMAR GUPTA
वैज्ञानिक-ई/निदेशक एवं प्रमुख (आरपीडीओ)
Scientist-E Director & Head (RPDO)
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
रायपुर शाखा कार्यालय Raipur Branch Office
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
(Government of India)
रायपुर (छत्तीसगढ़) / Raipur (Chhattisgarh)

(सुमन कुमार गुप्ता)
वैज्ञानिक ई/ निदेशक एवं प्रमुख